संपादकीय जागरण

मंगलवार, 26 दिसंबर, 2017 : पौष शुक्ल 8 वि. 2074

भूल स्वीकार कर और उसे सुधारकर ही तरक्की का रास्ता खुलता है

शहरीकरण में मेट्रो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से सटे नोएडा में मेट्रो सेवा के विस्तार के तहत उसकी एक और लाइन का उद्घाटन करते हुए मेट्रो की सवारी को पीढ़ी दर पीढ़ी फायदेमंद बताते हुए यह भी रेखांकित किया कि जल्द ही देश के 50 शहरों में मेट्रो का संचालन होने वाला है। उन्होंने भरोसा जताया कि मेट्रो के विस्तार के साथ ही आने वाले समय में भारत दुनिया के पांच सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले देश में शामिल होगा। निःसंदेह दिल्ली और उसके आसपास के शहरों के साथ मुंबई, कोच्चि, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ आदि के साथ देश के अन्य शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार सार्वजनिक यातायात को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन शहरों को संवारने के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यह सही है कि विभिन्न राज्यों में मेट्रो सेवा के लिए होड़ दिख रही है और बड़े शहरों में मेट्रो के साथ सार्वजनिक परिवहन के अन्य आधुनिक साधनों के इस्तेमाल की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि ऐसी ही होड़ शहरों के समग्र ढांचे को सुधारने के मामले में नहीं दिख रही है? यह सवाल इसलिए चिंतित करता है, क्योंकि शहरों का ढांचा तेजी के साथ चरमराता जा रहा है। वे बढ़ती आबादी के बोझ का सामना करने के साथ सामान्य नागरिक सुविधाओं के अभाव का भी सामना कर रहे हैं। अगर यह सोचा जा रहा है कि शहरों को केवल मेट्रो सेवा से लैस करके उनकी दशा सुधारी जा सकती है तो यह सही नहीं। बेहतर हो कि राज्य सरकारें शहरों को साफ-स्वच्छ और सुविधाजनक बनाने पर भी ध्यान दें।

यह ठीक नहीं कि राज्य सरकारें जैसी ललक मेट्रो के प्रति दिखा रही हैं वैसी शहरों को साफ-स्वच्छ बनाने अथवा प्रदूषण, अतिक्रमण, यातायात जाम, बेतरतीब विकास, झुग्गी बस्तियों से मुक्ति को लेकर नहीं दिखा रही हैं। शहरों को संवारने के मामले में इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरों का चयन करने में लगी हुई है, क्योंकि फिलहाल यह योजना लक्ष्य से दूर ही नजर आ रही है। यदि शहरों के ढांचे को सुधारने पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वे और अधिक समस्याओं से घिर सकते हैं, क्योंकि गांवों, कस्बों और छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर आबादी का आगमन बढ़ता ही जा रहा है। इसे रोकना संभव नहीं। एक अनुमान के तहत अगले कुछ वर्षों में देश की करीब आधी आबादी शहरों में निवास करेगी। इसे देखते हुए शहरों के आधारभूत ढांचे को दुरुस्त करने का काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा मुश्किल से ही दिखता है। उपयुक्त शहरीकरण को सुनिश्चित करने वाले नियम-कानूनों की अनदेखी तो एक समस्या है ही, यह भी किसी संकट से कम नहीं कि शहरीकरण संबंधी योजनाएं बनाते समय तात्कालिक समाधान पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। शहरीकरण के ढांचे को बेहतर बनाने में मेट्रो सेवा की महत्ता से इन्कार नहीं, लेकिन हमारे नीति-नियंताओं को यह ध्यान रहे तो बेहतर कि केवल इसी सेवा के निर्माण और विस्तार के जरिये शहरों की सूरत को नहीं बदला जा सकता।

यात्रियों को जोड़ना जरूरी

दिल्ली में कालकाजी से नोएडा के बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो ट्रेन परिचालन की शुरुआत स्वागतयोग्य है। इस मजेंटा लाइन से जहां दक्षिणी दिल्ली और नोएडा के बीच सफर कम समय में पूरा होगा, वहीं नोएडा और फरीदाबाद के बीच भी सुविधा बेहतर होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने राजधानी में मेट्रो का परिचालन शुरू होने के बाद से सेवा का लगातार विस्तार किया, यही वजह है कि दिल्ली-एनसीआर के काफी लोग मेट्रो से सफर करते हैं।

मजेंटा लाइन से जहां दक्षिणी दिल्ली और नोएडा के बीच सफर कम समय में पूरा होगा, वहीं नोएडा और फरीदाबाद के बीच भी आवागमन की सुविधा बेहतर होगी

मेट्रो उन्हें तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित सफर उपलब्ध करा रही है। इसकी सफलता दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि गंभीर स्तर के वायु प्रदूषण से लगातार जूझ रही दिल्ली में वाहनों का दबाव घटाने में मेट्रो ने बड़ा योगदान दिया है, लेकिन गत कुछ महीनों में मेट्रो का किराया दो बार बढ़ने से यात्रियों की संख्या में गिरावट भी आई है, जो चिंता का विषय है। मेट्रो की वास्तविक सफलता तभी है, जब अधिकाधिक लोग इसे पहली पसंद मानें। जरूरी है कि विस्तार के साथ मेट्रो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे और यात्रियों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए हरसंभव प्रयास करे। कुछ महीनों में मेट्रो के परिचालन के दौरान कई बार समस्याएं सामने आई हैं। ऐसा कई बार हुआ है, जब तकनीकी वजहों से मेट्रो का परिचालन ठप हुआ और यात्री परेशान हुए। ऐसे में डीएमआरसी को इन समस्याओं से पार पाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि मेट्रो का सतत विस्तार, बेहतर तकनीक का इस्तेमाल और यात्री सुविधाओं में लगातार सुधार होता रहा तो यह यात्रियों की पहली पसंद बनी रहेगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आपको लगता है कि आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यह साल बेहतर रहा?

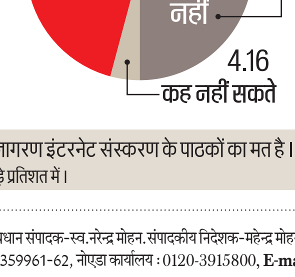

आज का सवाल

क्या पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को उनकी मां व पत्नी से मुलाकात की अनुमति देना भारत की कूटनीतिक जीत है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, N–नहीं, C–कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

मिसाल कायम करने वाला फैसला

अश्विनी कुमार

2जी मामले में सुप्रीम कोर्ट के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को देखते हुए शीर्ष अदालत और निचली अदालत के निर्णय में असंगति देखना पूरी तरह निरर्थक है

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में आया विशेष अदालत का फैसला कई पैमानों पर बेहद अहम है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि साक्ष्यों के अभाव में यह मामला कहीं नहीं ठहरता और इसमें किसी भी तरह के 'उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रष्टाचार' के सुराग नहीं मिलते। उसने राजनीतिक पूर्वाग्रह से लगाए गए आरोपों और विधिक अभियोजन में भी कानूनी रूप से स्वीकार्य तथ्यों के आधार पर भी अंतर स्पष्ट किया। न्यायाधीश ओपी सैनी ने निष्कर्ष निकाला कि 'हर कोई आम धारणा से प्रभावित हो रहा था जो अफवाह, कल्पना और अटकलबाजियों पर आधारित था' लेकिन 'विधिक कार्यवाही में उनके लिए कोई स्थान नहीं था।' इस तरह देखा जाए तो यह फैसला बेवजह के आरोपों के मुकाबले मुकदमे की उचित एवं पारदर्शी सुनवाई के सिद्धांत की अनूठी मिसाल है। अदालत ने अपने आदेश में उसी रुझान को पुष्ट किया जो हमारे विधिक शब्दकोश का अभिन्न हिस्सा सा बनता जा रहा है कि मीडिया ट्रायल (किसी मामले को मीडिया द्वारा मनमाने आक्रामक तरीके से पेश करना) कैसे विधि के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह संविधान के आधारभूत ढांचे का मखौल उड़ाता है। न्यायाधीश सैनी का यह कथन ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि वह पिछले सात वर्षों से साक्ष्यों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कानूनी आधार पर कुछ ठोस पेश किया जाएगा जिससे अभियोजन को कुछ ताकत मिले। न्यायाधीश ने अपेक्षा के अनुरूप कथ्य पर तथ्य को ही तरजीह दी। उन्होंने प्रक्रियागत व्यवस्था और न्यायिक स्वतंत्रता के उसी भाव को प्रदर्शित किया जो विधि के शासन द्वारा पुष्ट होता है। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान विलियम हैजलेट की कही गई एक बात भी अक्सर इस संदर्भ में पेश की जाती है कि 'मिथ्या आरोपों को किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती।'

विशेष अदालत का फैसला अपने आप में कई तरह से खास है। मसलन यह अपनी स्पष्टता और बेबाकी के लिए याद किया जाएगा, जहां अभियोजक किसी भी आरोपी को अपराधी साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहे। मामले के व्यापक राजनीतिक निहितार्थ हैं और ऐसे मामलों की निगरानी स्वयं शीर्ष अदालत की निगरानी में होने जैसे तथ्यों को देखते हुए ऐसी स्पष्टवादिता बुलंद न्यायिक तंत्र को ही दर्शाती है। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि इस आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी, फिर भी प्रक्रियागत न्याय की पवित्रता और न्यायिक प्रक्रिया की ईमानदारी में इसकी महत्ता की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस फैसले से कुपित लोगों ने प्रतिक्रिया में इस निर्णय की सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2जी मामले में आए फैसले से तुलना करने की जो कोशिश की है वे शायद इस परिप्रेक्ष्य में शीर्ष अदालत के क्षेत्राधिकार को लेकर संशय की स्थिति में हैं। इस मामले में शीर्ष अदालत का विशिष्ट रिट क्षेत्राधिकार दूरसंचार विभाग यानी डीओटी द्वारा अपनाई गई 'पहले आओ, पहले पाओ' वाली नीति के संदर्भ में था जिसे विभाग ने यूएएस लाइसेंस जारी करने के लिए आधार बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से इसी आधार पर लाइसेंस रद किए थे कि उनके आवंटन में तार्किक और निष्पक्ष मानदंडों की अनदेखी की गई जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान किए गए और समानता के अधिकार का अभिन्न अंग हैं।

यह नहीं भूलना चाहिए कि शीर्ष अदालत को अपराध सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया या कहा जा सकता है, क्योंकि वह 'कोर्ट ऑफ फैक्ट' है। यहां यह स्मरण कराना भी उपयोगी होगा कि इसी तरह के मामले में अनुच्छेद 14 के आधार पर कोयला खदानों का आवंटन रद करते हुए भी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश लोढ़ा ने इसके निहितार्थों के संभावित गलत अर्थ निकालने से बचने के लिए फैसले में यह जाहिर नहीं किया था कि मामले में कथित आपराधिक संलिप्तता पर अदालत की कोई राय है। सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर कोयला खदानों का आवंटन तो रद किया, लेकिन कथित आपराधिक लिप्तता पर कुछ नहीं कहा। इसी तरह 2जी मामले में संविधान पीठ ने भी उसमें खंडपीठ के फैसले को स्पष्ट किया था। उसमें राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी के जरिये आवंटन पर संविधान पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके जैन ने कहा था, 'प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अपनाई गई कोई भी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से आर्थिक नीति के तहत आती है। इसमें निश्चित रूप से आर्थिक विकल्प शामिल होते हैं और इन मामलों में अदालत के पास आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव है।' उसका सार था, 'जैसा कि बार-बार दोहराया गया है कि यह इस अदालत का काम नहीं हो सकता और न ही होगा कि वह प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी और दूसरे अन्य विकल्पों का आकलन करे। अदालत किसी एक विकल्प को नजीर के तौर पर पेश नहीं कर सकती कि किसी भी सूरते हाल में उसका ही पालन किया जाए।'

इस प्रकार 2जी मामले में सुप्रीम कोर्ट के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को देखते हुए इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत और निचली अदालत के निर्णय में असंगति देखना पूरी तरह निरर्थक है। शीर्ष अदालत ने जहां सरकार के नीतिगत निर्णय में पारदर्शिता, तार्किकता और सभी को समान अवसर देने जैसी संवैधानिक बाध्यताओं को कसौटी पर कसा तो भ्रष्टाचार और अपराध सिद्ध करने का अधिकार विशेष रूप से निचली अदालत के दायरे में आता है। विशेष अदालत के फैसले से मुश्किल में फंसने वालों की राजनीतिक मजबूरियों को किनारे भी कर दें तो यह फैसला बुनियादी संवैधानिक सवाल खड़े करता है। यह सवाल यही है कि हम संवैधानिक विधिशास्त्र के अनुरूप आधारभूत नियमों को कैसे लागू करेंगे, क्योंकि अफवाहों के इस दौर में तो आरोप लगते ही किसी को अपराधी मान लिया जाता है। क्या सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार को इतना खींच दिया जाए जिससे मानवीय गरिमा के साथ बार-बार समझौता करना पड़े जबकि संवैधानिक अधिकारों में उसे खासी अहमियत दी गई है? इसी तरह क्या मीडिया ट्रायल द्वारा शुरू की गई 'न्याय की परिपाटी' को मात दी जा सकती है?

अगर इसकी वजह से किसी को अंतहीन दर्द के दौर से गुजरना पड़े, उसकी प्रतिष्ठा तार-तार हो जाए और उसकी सामाजिक हैसियत घट जाए तो उसके लिए क्या सहारा हो सकता है, खासकर तब जब महज आरोपों के चलते ही उसे अपराधी की तरह देखा जाने लगे। विशेषकर समाज में संदिग्ध माने जाने वाले मामलों में तो स्थिति और खराब हो जाती है। हमें स्वयं से भी निश्चित रूप से सवाल करने चाहिए कि अगर निराधार आरोपों से हमारी संस्थागत निष्ठा और लोकतांत्रिक संस्थानों पर इसी तरह से हमले होते रहे तो क्या देश में राजनीतिक लोकतंत्र अपना अस्तित्व बचाए रख सकता है? इन परेशान करने वाले, लेकिन आवश्यक प्रश्नों का उत्तर ही हमारे भविष्य और संवैधानिक लोकतंत्र के साथ ही विधि के उस शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी तय करेगा जिसका गुणगान करते हम थकते नहीं हैं।

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

नदियां साफ करने के नाम पर नारेबाजी

पंकज चतुर्वेदी

जीवनदायी नदियों को प्रदूषण-मुक्त करने की नीतियां अभी तक महज नारों से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं

हाल में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट से पता चला कि गंगा सफाई की परियोजना 'नमामि गंगे' के तहत बजट राशि खर्च ही नहीं हो पाई है। अब तक गंगा की सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन न तो गंगा में पानी की मात्रा बढ़ी और न ही उसका प्रदूषण घटा। यह हाल केवल गंगा का ही नहीं है। अन्य नदियों को स्वच्छ करने के अभियान भी कागजी साबित हो रहे हैं। वे नारेबाजी और बजट को ठिकाने लगाने तक अधिक सीमित हैं। लखनऊ में गोमती पर छह सौ करोड़ खर्च किए गए, लेकिन हालत जस की तस है। कई सौ करोड़ खर्च हो जाने के बाद यमुना भी दिल्ली से आगे मथुरा-आगरा तक नाले की तरह है। सभी जानते हैं कि इंसान के पीने और साथ ही खेती-मवेशी के लिए अनिवार्य मीठे जल का सबसे बड़ा जरिया नदियां ही हैं। जहां-जहां से नदियां निकलीं, वहां-वहां बस्तियां बसती गईं और इस तरह विविध संस्कृतियों का भारत बसता चला गया। समय के साथ नदियां पवित्र मानी जाने लगीं-केवल इसलिए नहीं कि उनसे जीवनदायी जल मिल रहा था, इसलिए भी कि उनकी छत्र-छाया में मानव सभ्यता पुष्पित पल्लवित होती रहीं। गंगा और यमुना को भारत की अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन विडंबना है कि विकास की बुलंदियों की ओर बढ़ते देश में अमृत बांटने वाली नदियां आज खुद जहर पीने को अभिशप्त हैं। नदियों को प्रदूषण-मुक्त करने की नीतियां महज नारों से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सरकार में बैठे लोग खुद ही नदियों में गिरने वाले औद्योगिक प्रदूषण की सीमा में जब विस्तार करेंगे तो यह उम्मीद रखना बेमानी है कि वे जल्द ही निर्मल होंगी।

हमारी नदियां कई तरह के हमले झेल रही हैं। उनमें पानी कम हो रहा है, वे उथली हो रही हैं और उनसे रेत निकाल कर उनका मार्ग भी बदला जा रहा है। नदियों के किनारे पर हो रही खेती से बह कर आ रहे रासायनिक पदार्थ और कल-कारखानों के साथ घरेलू गंदगी भी नदियों में जा रही है। नदी केवल एक जल मार्ग नहीं होती। जल के साथ उसमें रहने वाले जीव-जंतु, वनस्पति, उसके किनारे की नमी, उसमें पलने वाले सूक्ष्म जीव, उसका जल इस्तेमाल करने वाले इंसान और पशु-इन सभी की महत्ता होती है। यदि इनमें से एक भी कड़ी कमजोर या नैसर्गिक नियम के विरुद्ध जाती है तो नदी की दशा बिगड़ जाती है। हमारे देश में 13 बड़े, 45 मध्यम और 55 लघु जलग्रहण क्षेत्र हैं। जलग्रहण क्षेत्र उस संपूर्ण इलाके को कहा जाता है जहां से पानी बहकर नदियों में आता है। इसमें हिमखंड, सहायक नदियां, नाले आदि शामिल होते हैं। गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, कावेरी, माही, महानदी, साबरमती आदि बड़े जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियां हैं। इनमें से तीन नदियां-गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को सदानीरा 'हिमालयी नदी' कहा जाता है। शेष पठारी नदी कहलाती हैं, क्योंकि वे मूलतः वर्षा पर निर्भर होती हैं। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.80 लाख वर्ग किमी है, जबकि सभी नदियों को सम्मिलित जलग्रहण क्षेत्र 30.50 लाख वर्ग किमी है। हमारी नदियों से हर साल 1645 घन किलोलीटर पानी बहता है जो सारी दुनिया की कुल नदियों का 4.445 प्रतिशत है। आंकडों के आधार पर हम पानी के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि पूरे पानी का कोई 85 फीसद बारिश के तीन महीनों में समुद्र की ओर बह जाता है और नदियां सूखी रह जाती हैं।

2009 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में कुल दूषित नदियों की संख्या 121 पाई थी जो अब 275 हो चुकी हैं। आठ साल पहले नदियों के कुल 150 हिस्सों में प्रदूषण पाया गया था, जो अब 302 हो गया है। बोर्ड ने 29 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 445 नदियों पर अध्ययन किया, जिनमें से 225 का जल बेहद खराब हालत में मिला। इन नदियों के किनारे बसे शहरों में 2009 में 38 हजार एमएलडी सीवर का गंदा पानी नदियों में गिरता था जो अब बढ़ कर 62 हजार एमएलडी हो गया है। चिंता की बात है कि कहीं भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता नहीं बढ़ाई गई है। सरकारी अध्ययन में 34 नदियों में बायो केमिकल आक्सीजन डिमांड यानि बीओडी की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई और यह नदियों के अस्तित्व के लिए बड़े संकट की ओर इशारा करता है। भारत में प्रदूषित नदियों के बहाव का इलाका 12,363 किमी मापा गया है। इनमें से 1,145 किमी का क्षेत्र बेहद दूषित श्रेणी का है। दिल्ली में यमुना इस शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां 43 नदियां मरने के कगार पर हैं। असम में 28, मध्यप्रदेश में 21, गुजरात में 17, कर्नाटक में 15, केरल में 13, बंगाल में 17, उप्र में 13, मणिपुर और ओडिशा में 12-12, मेघालय में दस और कश्मीर में नौ नदियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऐसी नदियों के कोई 50 किमी इलाके के खेतों की उत्पादन क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। इलाके की अधिकांश आबादी चर्मरोग, सांस की बीमारी और पेट के रोगों से बेहाल है। भूजल विभाग का एक सर्वे गवाह है कि नदी के किनारे हैंडपंपों से निकल रहे पानी में क्षारीयता इतनी अधिक है कि वह न तो पीने के लायक है,न ही खेती के।

आज के दौर में विकास का पैमाना निर्माण कार्य है -भवन, सड़क, पुल आदि के निर्माण में सीमेंट, लोहे के साथ एक अन्य अनिवार्य वस्तु है रेत या बालू। यह एक ऐसा उत्पाद है जिसे किसी कारखाने में नहीं बनाया जा सकता। प्रकृति का नियम यही है कि किनारे पर स्वतः आई इस रेत को समाज अपने काम में लाए, लेकिन गत एक दशक के दौरान हर छोटी-बड़ी नदी का सीना छेद कर मशीनों द्वारा रेत निकाली जा रही है। इसके लिए नदी के नैसर्गिक मार्ग को बदला जाता है। उसे बेतरतीब खोदा या गहरा किया जाता है। नदी के जल बहाव क्षेत्र में रेत की परत न केवल बहते जल को शुद्ध रखती है, बल्कि वह उसमें मिट्टी के मिलान से दूषित होने और जल को भूगर्भ में जज्ब होने से भी बचाती है। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार जेसीबी जैसी भारी मशीनें और ट्रक आने से उसका पर्यावरण खराब होता है। भले ही हम कारखानों को दोषी बताएं, लेकिन नदियों की गंदगी का तीन चौथाई हिस्सा घरेलू मल-जल है। इस मल-जल के शुद्धिकरण की लचर व्यवस्था और नदियों के किनारे के बेतरतीब अतिक्रमण भी उनके बड़े दुश्मन बन कर उभरे हैं।

(लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रेम प्रवाह

प्रेम बहती नदी है, बंद तालाब नहीं। इसे परमार्थ के महानद में मिलने दें। यदि प्रेम नदी न हो तो जीवन को शुष्क मरुस्थल बनते देर नहीं लगती। स्वार्थ के संपुट में बंद प्रेम महज प्रेमाभास है। प्रेम ऊपर चढ़े तो भक्ति है और नीचे गिरे तो आसक्ति। प्रेम रागात्मक है, वासनात्मक नहीं। हमारा सारा प्रेम शुभ के लिए होना चाहिए। हम व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, उसमें निहित आदर्श से प्रेम करते हैं। पति या पत्नी शरीर से प्रेम नहीं करते, उसमें निहित आत्मा से प्रेम करते हैं। परमात्मा को धर्मालयों में बंद न करें। उसे सर्वत्र प्रेम के रूप में खिलने दें। बंद फूल मुरझा जाता है। उसे उपवन की खुली हवा में खिलखिलाने दें। यदि आप जीवन में ऊंचाई को नापना चाहते हैं तो उपवन में खिले फूलों को देखें, जो खिलता है दूसरों को सुख देने के लिए और स्वयं मुरझाने के लिए। फूल कंटीली झाड़ी में भी मुस्कराता रहता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? साधु की साधुता में ही प्रेम को मत देखें, बल्कि दुष्ट की दुष्टता में भी प्रेम को निहारने की साधना करें। जब तक बंदा और खुदा के बीच खुदी का पर्दा है, तब तक खुदा का दीदार नहीं। प्रेम निश्छल होना चाहिए। वह चाहे सांसारिक प्रेम हो या परमार्थिक प्रेम।

प्रेम में प्रतिदान की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। प्रेम के आगे मुक्ति भी निरादृत है। प्रेम-प्रेम के लिए होना चाहिए। यह भाव भी नहीं होना चाहिए कि वह प्रेम कर रहा है। प्रेम में केवल देना ही देना है, लेना कुछ भी नहीं। प्रेम को तिजारत न बनने दें। प्रार्थना का असली मंतव्य परमात्मा से किसी प्रकार की याचना नहीं है। अहंकार वह बाधक तत्व है, जो दैवी प्रेम को मनुष्य के भीतर उतरने ही नहीं देता। परमात्मा प्रेम है। उसे निश्छल प्रेम ही चाहिए। सूर्य प्रेमवश जीवनदायिनी किरणें विसर्जित करता है। मेघ भेद-भाव के बगैर सभी के खेतों में बरसता है। नदी प्यास मिटाने के लिए निरंतर बहती है। वृक्ष, फल लुटाने के लिए झुक जाते हैं। हवा जीवन देने के लिए बहती ही रहती है। इस प्रेम के बदले वे हमसे कुछ नहीं चाहते, परंतु हम लोग भ्रांत सुख की खोज में निर्ममता से इन सब का दोहन करते रहते हैं। इस संकट से बचने के लिए हमें अपने को सब के साथ प्रेम के बंधन में बंधकर चलना होगा, अन्यथा हमारा ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही 'दैवीय प्रेम' का सार है और इसे किसी भी तरह आत्मसात करना होगा।

डॉ. दुर्गादत्त पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

जयराम की चुनौती

नए दौर में हिमाचल की राजनीति शीर्षक से लिखे अपने लेख में देवी चेरियन ने राजनीतिक पार्टियों को हिमाचल विधानसभा चुनाव से सबक लेने का सुझाव दिया है। लोकतंत्र में आमजन के वोट की कितनी अहमियत होती है, इसका नजारा भी इस बार के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में देखने को मिला। हिमाचल के सुजानपुर विधानसभा की आम जनता ने भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को परास्त करके और कांग्रेस के राजेंद्र राणा को जीताकर शायद यह समझाना चाहा है कि जो राजनेता या सत्ताधारी आमजन से जुड़ा रहेगा आमजन चुनाव में उसको अपना मत जरूर देगा। यह बात भले ही कुछ राजनेताओं और सत्ताधारियों को कड़वी लगे, लेकिन यह शत प्रतिशत सही है। भाजपा ने धूमल के बदले जयराम ठाकुर को राज्य की कमान सौंपने का फैसला किया है। अब उनके कंधों पर प्रदेश की जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि 2019 में होने वाले आम चुनाव में भाजपा की लाज भी उनके ही हाथों में है। राजेश कुमार चौहान, जालंधर

युवाओं पर भरोसा

विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है, लेकीन चुनाव में खड़े रहने की बात आती है तो युवाओं पर विश्वास नहीं दिखाया जाता। गुजरात और हिमाचल के लिए 500 उम्मीदवारों में 35 से कम उम्र के केवल 25 युवा उम्मीदवार थे, जीत केवल आठ की हुई। देश के लोकतंत्र को एक बात जानना जरूरी है कि युवा खून को पसंदी देना जरूरी है. क्योंकि जब तक उन्हें अवसर नहीं दिया जाएगा, वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। राजनीति को छोड़ देश हर क्षेत्र में युवाओं के कारण ही तरक्की कर रहा है। युवाओं पर भरोसा जताने की जरूरत है।

mchandarana12@gmail.com

अन्ना के पत्र

समाजसेवी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से कांग्रेस के हाथों से सत्ता उड़ गई। अब फिर वह लोकपाल के लिए आंदोलन करने वाले हैं। वह लोकपाल के लिए प्रधानमंत्री को कई पत्र लिख चुके हैं, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। जब अन्ना के ही पत्रों का यह हाल है तो आम नागरिक के पत्रों का क्या हाल होगा। अन्ना की बातों को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। जन भावना में वह शक्ति होती है जो सत्ता को भी बदल देती है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

महेंद्र सिंह मान, दिल्ली

बेवजह मामला

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले का सच इस प्रकार से लोगों के बीच आएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसे देश का बड़ा घोटाला बताया जा रहा था। इसमें फंसे मुख्य आरोपी कनिमोरी व पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा समेत कई लोगों पर घोटाले के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर सबको बरी कर दिया। इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल ने कह दिया कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ ही नहीं। आखिर बिना किसी बात के ही इतनी कसरत हुई? asifr8795@gmail.com

सचिन बनाम संसद

सचिन तेंदुलकर नाम सुनते ही सिर्फ एक चीज दिमाग में आती है क्रिकेट और उसके भगवान। भारत रत्न और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर संसद भवन में खेल के अधिकार विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए और वह भाषण की शुरुआत करते इससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष लगातार मनमोहन सिंह के मुद्दे पर हंगामा करता रहा और एक तेंदुलकर काफी कोशिशों के बाद भी बोल नहीं पाए और चुपचाप बिना बोले बैठ गए। क्रिकेट के मैदान में भी तो सचिन तेंदुलकर सिर्फ बल्ले से जवाब देते थे, न वहां बोले और न ही यहां बोलने दिए।

bantisharma.sharma@gmail.com

फैसले में मोदी कहां?

सियासत का फलसफा भी अजीब है। अभी हाल में सीबीआइ कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण केसों में फैसला सुनाया है, दिल्ली की कोर्ट ने 2 जी घोटाले में आरोपियों को बरी कर दिया, वहीं रांची कोर्ट ने चारा घोटाले में कुछ आरोपियों को बरी कर दिया व लालू यादव व अन्य 15 को दोषी करार दिया। आश्चर्य तो यह है कि दोषी करार दिए गए व बरी किए गए सभी आरोपी भाजपा को कोस रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि भाजपा सरकार का सीबीआइ पर दबाव होता तो क्या 2जी घोटाले के आरोपी बरी हो सकते थे। मान भी लें कि राजद तो अपने नेता को दोषी करार दिए जाने के कारण बौखला गया है, फिर कांग्रेस क्यों मोदी को कोस रही है, उसे तो इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। 2जी घोटाला संप्रग के शासनकाल में हुआ। उसी के समय आरोप पत्र प्रस्तुत हुए सीबीआइ भी उसी के अधीन थी। पुष्टि के लिए सबूत भी उसी के समय में दिए गए। यदि सबूत पर्याप्त नही थे तो इसके लिए कौन दोषी है? मोदी कहां से आ गए? कांग्रेस चित भी मेरी और पट भी मेरी की नीति पर चल रही है। यदि आरोपी दोषी साबित होते तो भी मोदी पर दोष मढ़ा जाता और बरी हो गए तो भी मोदी को कोस रहे हैं। कांग्रेस के शब्दबाण मोदी को लक्ष्य बनाकर छोड़े जा रहे हैं, भाजपा ने लोस चुनाव में इस मुद्दे को अवश्य भुनाया था, जो गलत भी नहीं था। किसी पार्टी को सत्ता से उखाड़ने के लिए उसकी कमियां उजागर करनी पड़ती हैं, भाजपा ने भी यही किया। कांग्रेस ऐसा दर्शा रही है मानो उसे पाक-साफ होने का प्रमाण पत्र मिल गया हो। रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

ट्वीट-ट्वीट

सरकारी गाड़ी पर 'भारत सरकार' के बजाय 'भारत के सेवक' लिखा जाए तो 80 प्रतिशत गाड़ियों से स्टिकर अपने आप उतर जाएंगे। फिर सांसदों, विधायकों और अफसरों के रिश्तेदार गाड़ी से निकलकर धौंस देना बंद कर देंगे।

मधु पूर्णिमा किश्वर@madhukishwar

प्रधानमंत्री भेदभाव नहीं कर सकते। फिर केजरीवाल से छुआछूत क्यों बरतते हैं? मेट्रो में दिल्ली का भी पैसा लगा है तो उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? वाजपेयी ऐसा नहीं करते थे। हम अपने प्रधानमंत्री को इतना संकीर्ण होते नहीं देख सकते?

आशुतोष@ashutosh83B

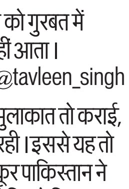

अगर मोदी और वंशवादी राजनीति में से किसी को चुनना पड़े तो मैं अभी भी मोदी को ही वोट दूंगी, लेकिन मैं उन्हें यह भी याद दिलाना चाहूंगी कि उन्हें कांग्रेस की आर्थिक नीतियों से अलग चलने की जरूरत है जिन नीतियों ने भारत को गुरबत में रखा। समाजवादी सामंतवाद मुझे रास नहीं आता।

तवलीन सिंह@tavleen_singh

पाकिस्तान ने जाधव की मां और पत्नी से मुलाकात तो कराई, लेकिन शीशे की एक दीवार अवरोध बनी रही। इससे यह तो पुष्ट हुआ कि वह अभी जीवित हैं, लेकिन क्रूर पाकिस्तान ने बेटे को अपनी मां और पत्नी से गले भी नहीं मिलने दिया।

गौरव सी सावंत@gauravcsawant

जनपथ

विज्ञापन में था सुना 'अच्छे होते दाग',
लालू के परिवार में यही चल रहा राग।
यही चल रहा राग बड़ी गड़बड़ बीमारी,
गर्वित होते आज स्वयं पर भ्रष्टाचारी।
करें समर्थक कूद भ्रष्टता का सत्यापन,
तब आता है याद दाग वाला विज्ञापन।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 161